मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

उत्तराखण्ड शासन

प्रदेश में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन
सुलभ कराने हेतु एक नई पहल

ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ग्राम स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। गाँव में निवासरत ग्रामीणों तथा अन्य राज्यों से आये, राज्य के प्रवासियों के लिए सरकार द्वारा स्वरोजगार का उचित अवसर प्रदान किया जा रहा है। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने हेतु राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेरी योजनान्तर्गत 03 व 05
दुधारू पशुओं के क्रय हेतु 25 प्रतिशत अनुदान
तथा
नगरीय क्षेत्रों में आंचल मिल्क बूथ स्थापना हेतु 20 प्रतिशत अनुदान
पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

पलायन पर लगेगी रोक

योजना के मुख्य बिन्दु

- योजना का लाभ दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को प्रदान किया जायेगा।
- वह व्यक्ति जो कि वर्तमान में दुग्ध सहकारी समिति का सदस्य न हो परन्तु सदस्य बनने हेतु इच्छुक हो, उन्हे भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत क्रय किये जाने वाले दुधारू पशु राज्य के बाहर से क्रय किये जायेंगे, ताकि प्रदेश में पशुधन की वृद्धि हो सके।
- 3000 दुग्ध उत्पादकों को कुल 10000 दुधारू पशु उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 500 आंचल मिल्क बूथ स्थापित किये जायेंगे।

योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 01 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक दुग्ध संघ कार्यालय से प्राप्त कर जमा किए जा सकते हैं।

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु जनपद के सहायक निदेशक डेरी, प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक दुग्ध संघ अथवा मोबाइल नं. 9412929257, 9012220864 से सम्पर्क कर सकते हैं।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी
www.uttarainformation.gov.in UttarakhandDIPR DIPR_UK

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

डेरी विकास विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित " राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना"

03 एवं 05 दुधारू पशु क्रय हेतु आवेदन पत्र

(ऐसे आवेदकों हेतु जिन्हें समिति क्षेत्रों में आच्छादित नहीं किया जा सकता)

आवेदन पत्र दिनांक 01 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक दुग्ध संघ कार्यालय/ आँचल डेरी कार्यालय में जमा किये जा सकते है |

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तपोषित "केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि सहकारिता परियोजना" (CSISAC) में डेरी विकास कार्यकमों अन्तर्गत 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित किये जाने के लिए ऐसे आवेदक जिन्हे समिति क्षेत्रों में आच्छादित नही किया जा सकता है के चयन, ऋण एवं राज सहायता वितरण एवं वसूली के लिए मार्ग निर्देश–

- योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों के चयन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित दुग्ध संघ का होगा।
- आवेदन कर्ता को सम्बन्धित दुग्ध संघ का नाम मात्र का सदस्य बनाया जायगा।
- लाभार्थी चयन में यह सावधानी पूर्व से ही रखी जायेगी कि चयनित किया जा रहा लाभार्थी किसी भी बैंक का defaulter सदस्य न हो।
- चयनित लाभार्थी का आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–1)** पर पूर्ण रूप से भरा हुआ, प्रबन्धक / प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ के माध्यम से सम्बन्धित सहकारी बैंक की शाखा को उपलब्ध कराया जायेगा।
- लाभार्थी, सहकारी बैंक, दुग्ध संघ तथा सहायक निदेशक, डेरी के मध्य एक चतुर्पक्षीय अनुबन्ध किया जायेगा। **(संलग्नक–2)**
- योजनान्तर्गत 03 दुधारू पशुओं की इकाई हेतु इकाई लागत रू0 2.465 लाख तथा 05 दुधारू पशुओं की इकाई हेतु इकाई लागत रू0 4.0725 लाख निर्धारित है, जिसमें इकाई लागत का 65 प्रतिशत ऋण, 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश तथा शेष 25 प्रतिशत एन0सी0डी0सी0 व राज्य अनुदान है।
- बैंक द्वारा स्वीकृत इकाई राशि में से दुधारू पशु क्रय हेतु निर्धारित धनराशि लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये उन्नत नस्ल के दुधारू पशु के सापेक्ष पशु विक्रेता तथा बीमा राशि सीधे बीमा कम्पनी को प्रेषित की जायेगी।
- अनुदान एवं ऋण धनराशि बैंक द्वारा ऋण वितरण के उपरान्त जनपदीय सहायक निदेशक, डेरी की संस्तुति पर बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वीकृत ऋण पर ब्याज 12.00 प्रतिशत की दर से देय होगा। ऋण की वापसी मय ब्याज के अधिकतम 05 वर्ष में की जायेगी।
- योजनान्तर्गत क्रय किया जाने वाला पशुधन राज्य के बाहर से ही क्रय किया जायेगा। पशुक्रय सुनिश्चित किये जाने के लिए जनपद स्तर पर पशु क्रय कमेटी बनाई जायेगी, जो कि पशु क्रय से पूर्व संलग्न विवरणानुसार पशु की जांच कर क्रय सम्बन्धी कार्यवाही करेगें। **(संलग्नक–3)**
- लाभार्थी द्वारा दुधारू पशु परियोजना कार्यालय द्वारा राज्य के बाहर निर्धारित पशु फार्मो की सूची में सूचीबद्ध फार्मो से ही क्रय किये जायेगे। यदि दुधारू पशु राज्य के बाहर अन्यत्र स्थान से क्रय किये जाते है तो इसकी पूर्व अनुमति परियोजना निदेशक डेरी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः.....................02...

- योजनान्तर्गत कय की जाने वाली दुधारू गाय का दूध न्यूनतम 12 ली0 तथा भैंस का दूध न्यूनतम 10 ली0 से कम नही होगा तथा पशु 02 ब्यांत से अधिक का न हो।
- योजनान्तर्गत कय किये जाने वाले दुधारू पशु को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का कार्य दुग्ध संघ में तैनात पशु चिकित्सक द्वारा किया जायेगा तथा बीमा प्रकिया पूर्ण किये जाने के लिए सम्बन्धित पशु चिकित्सक एवं दुग्ध संघ के प्रभारी पी0 एण्ड आई0 पूर्णरूप से उत्तरदायी होगे।
- पशुकय हेतु निर्धारित दुधारू पशु कय कमेटी द्वारा लाभार्थी के फोटो पशु सहित, कय रसीद आदि का संरक्षण निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–4)** पर किया जायेगा तथा एक प्रति दुग्ध संघ स्तर पर संरक्षित करते हुए परियाजना निदेशक (डेरी) कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
- लाभार्थी द्वारा प्रतिदिन उत्पादित दूध में से विकय योग्य समस्त दूध सम्बन्धित दुग्ध सहकारी संघ को ऋण अदा होने तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा।
- लाभार्थी द्वारा प्रतिदिन उत्पादित दूध में से विकय योग्य समस्त दूध सम्बन्धित दुग्ध सहकारी संघ को ऋण अदा होने तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा।
- दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति/संघ/डेरी विकास विभाग द्वारा समय–समय पर लाभार्थी को तकनीकी परामर्श एवं पशुचिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
- योजनान्तर्गत कय किये गये दुधारू पशु ब्याज सहित ऋण अदा होने तक बिकी नही किये जा सकेगें।
- जनपदीय सहायक निदेशक डेरी, एन0सी0डी0सी0योजना के नोडल अधिकारी होगें।

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित

''राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना''

अन्तर्गत दुधारू पशु इकाई (03 अथवा 05) स्थापना के लिए ऋण हेतु आवेदन–पत्र

(ऐसे आवेदकों हेतु जिन्हे समिति क्षेत्रों में आच्छादित नही किया जा सकता)

(Application-Form)

खण्ड–''अ''

सेवा में,
शाखा प्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक
....

द्वारा–प्रबन्धक / प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0..
महोदय,

मैं / हम उपर्युक्त ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन हेतु 03 / 05 दुधारू पशु इकाई के लिए ऋण लेना चाहता / चाहती हूँ।
इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाएं निम्नवत हैं–

1. प्रार्थी का नाम..
2. आधार संख्या–..(प्रति संलग्न करें)
3. पिता / पति का नाम..
4. पताः ....
5. वर्ग / जाति (सामान्य / अनु0जाति / अनु0जनजाति / पिछड़ा / अन्य)–..................
6. मुख्य व्यवसाय.. दूरभाष / मोबाईल नं0..
7. दुग्ध संघ की नाम मात्र सदस्यता का कमांक–....................(सदस्यता रशीद की प्रति संलग्न करें)
8. वर्तमान में दुधारू पशुओं की संख्याः– गाय................ भैस..................
9. वर्तमान में उत्पादित की जा रही दूध की मात्रा............................. लीटर
10. यदि खेती योग्य भूमि है, तो उसका क्षेत्रफल.................. (खसरा खतौनी / किसान बही का प्रति संलग्न)
11. यदि जमीन लाभार्थी के नाम से न हो और पिता / पति / परिवार को सह ऋणी बनाया जाना है, तो सह ऋणी का लाभार्थी के साथ सम्बन्ध एवं सम्पूर्ण विवरण–..
    ....
12. चल एवं अचल सम्पत्ति / एफ0डी0 आदि का विवरण...
    ....

(उक्त के अतिरिक्त 02 जमानती द्वारा जमानत उपलब्ध कराई जायेगी)

11.1– नाम जमानती / पिता–पति का नाम..
जमानती का आधार संख्या–...(प्रति संलग्न करें)
जमानती के पास उपलब्ध चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण..................................

11.2– नाम जमानती / पिता–पति का नाम..
जमानती का आधार संख्या–...(प्रति संलग्न करें)
जमानती के पास उपलब्ध चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण..................................

कमशः..........02

13. यदि प्रार्थी ने किसी संस्था या बैंक से ऋण लिया है, तो सम्पूर्ण विवरण..
....

ऋण मंजूर होने पर मैं वायदा करता/करती हूँ कि–

1. इस ऋण का उपयोग दुधारू पशु एवं योजना में प्रस्तावित अन्य साजों–सामान खरीदने के लिए उपयोग करूंगा/करूंगी।
2. योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण से प्रदेश के बाहर से उन्नत नस्ल के दुधारू पशु कय करूंगा/करूंगी।
3. बैंक/बीमा कम्पनी/विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी योजनान्तर्गत कय किये गये पशुओं का समय–समय पर निरीक्षण कर सकेंगे।
4. मैं दुधारू पशुओं की हर तरह से देखरेख एवं अच्छी तरह से हिफाजत करूंगा/करूंगी।
5. योजनान्तर्गत कय दुधारू पशुओं से उत्पादित दूध को दुग्ध संघ को आपूर्ति करूंगा/करूंगी।
6. ऋण की ब्याज सहित पूर्ण अदायिगी तक दुधारू पशुओं का विकय नही करूंगा/करूंगी।
7. बैंक द्वारा समय–समय पर दुधारू पशुओं से दुग्ध उत्पादन तथा उसकी बिकी एवं ऋण अदायगी के संबध में दिये गये आदेशों का पालन करता/करती रहूँगी।

इस संबंध में मै यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण, जो मेरे द्वारा बताये गये हैं, वे सही है। और कोई भी ऐसी बात/असलियत छुपाई नहीं गई है जिससे बैंक द्वारा दिये गये ऋण पर अनुचित प्रभाव पड़े।

प्रार्थी/प्रार्थीनी के हस्ताक्षर

नाम–

दिनांक..

कमशः..03

खण्ड—"ब"

जनपदीय दुग्ध संघ एवं डेरी विकास विभाग की संस्तुति

सुश्री / श्रीमती.. पुत्र / पत्नी श्री...

निवासी ग्राम..

जनपद... का आवेदन पत्र निरीक्षण के पश्चात् सही पाया तथा ऋण देने हेतु

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

प्रबंधक / प्रधान प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,
..।

सहायक निदेशक
डेरी विकास विभाग,
.....................................।

अनुबन्ध प्रपत्र

डेरी विकास विभाग, अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, द्वारा वित्त पोषित

''राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना''

ऋण अनुदान राशि हेतु चतुर्पक्षीय अनुबन्ध

(ऐसे आवेदकों हेतु जिन्हे समिति क्षेत्रों में आच्छादित नही किया जा सकता)

(लाभार्थी, सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक, दुग्ध सहकारी संघ तथा जनपदीय सहायक निदेशक, डेरी के मध्य)

(रू 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर)

1. श्री/सुश्री/श्रीमती...पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री... पता–.. ....जिसे लाभार्थी (प्रथम पक्ष) कहा गया है।
2. ....बैंक के शाखा प्रबन्धक,.. ....शाखा (स्थान) जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है।
3. दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0.. जरिये प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक पता.. जिसे आगे तृतीय पक्ष कहा गया है।
4. जनपदीय सहायक निदेशक (डेरी).. जिसे आगे चतुर्थ पक्ष कहा गया है।

चूँकि तृतीय पक्ष एक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 है, जिसका उद्देश्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के दुधारू पशु कय करने एवं अपने सदस्यों को तकनीकी परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराना है। अतः तृतीय पक्ष ने द्वितीय पक्ष के उपरोक्त ऋण अदायगी में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना स्वीकार किया है।

आज दिनांक.. को यह चतुर्पक्षीय अनुबन्ध किया गया, जिसकी शर्तें व अन्य विवरण निम्नवत् हैं–

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने स्वीकृत ऋण रू ....लाभार्थी प्रथम पक्ष को, तृतीय पक्ष के माध्यम से दिया, जिस पर द्वितीय पक्ष द्वारा 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से मासिक आधार पर ब्याज लिया जायेगा एवं ब्याज को मासिक आधार पर ऋण खातें में पूंजीगत किया जायेगा।
2. यह कि प्रथम पक्ष/लाभार्थी करार करता/करती हैं कि द्वितीय पक्ष द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कुल मु0 रू..की धनराशि जो स्वीकृत की गयी है, मे से पशु कय की धनराशि कय रशीद के अनुसार पशु विकेता को, बीमा धनराशि बीमा कम्पनी को सीधे भुगतान करते हुए शेष धनराशि तृतीय पक्ष के माध्यम से द्वितीय पक्ष को प्राप्त करा दी जाये। प्राप्त धनराशि से इकाई लागत अनुसार अन्य कार्य करने हेतु मैं (प्रथम पक्ष) पूर्ण सहमत हूँ।
3. यह कि लाभार्थी/प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त ऋण से कय किये गये दुधारू पशु द्वारा उत्पादित समस्त विपणन योग्य गुणवत्तायुक्त दूध, बैंक ऋण अदायगी तक केवल तृतीय पक्ष को देना अनिवार्य होगा तथा दूध कहीं अन्यत्र नहीं बेचा जायेगा।
4. यह कि लाभार्थी/प्रथम पक्ष द्वारा योजनान्र्तत प्राप्त ऋण से योजनान्तर्गत निर्धरित मार्ग–निर्देशिका अनुसार प्रदेश के बाहर से उन्नत नस्ल के दुधारू पशु कय किये जायेंगे तथा कय किये गये दुधारू पशु को बैंक ऋण अदायगी तक बिकी नहीं किया जायेगा।

कमशः....02

5. यह कि तृतीय पक्ष दूध के मूल्य भुगतान से समुचित धनराशि की कटौती कर द्वितीय पक्ष को ऋण की अदायगी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक किस्तों में करता रहेगा।
6. यह कि यदि लाभार्थी/प्रथम पक्ष कहीं अन्यत्र दूध बेचता है अथवा बैंक ऋण की अदायगी समयानुसार नहीं करता है अथवा योजनान्तर्त क्रय किये गये दुधारू पशुओं को बैंक ऋण अदायगी से पूर्व बिक्री कर देता है, तो तृतीय पक्ष अविलम्ब द्वितीय पक्ष को सूचित करेगा तथा द्वितीय पक्ष ऋण, ब्याज एवं अनुदान की एक मुस्त वसूली उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं संगत नियमावली 2004 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
7. चतुर्थ पक्ष का दायित्व होगा कि लाभार्थी द्वारा परियोजना मार्ग निर्देशिका अनुसार दुधारू पशु का क्रय राज्य के बाहर से एवं अन्य धनराशि का भी नियमानुसार व्यय सुनिश्चित हो।
8. तृतीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के स्तर से उपलब्ध कराये गये समस्त दूध को क्रय करते हुए ससमय दुग्ध मूल्य भुगतान किया जायेगा ताकि ऋण की अदायिगी सुनिश्चित हो सके।
9. तृतीय एवं चतुर्थ पक्ष को लाभार्थी (प्रथम पक्ष) के डेरी फार्म के निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. यदि उक्त अनुबन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न, होता है तो विवादों का निपटारा उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 एवं संगत नियमावली 2004 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा निर्णय अंतिम व समस्त पक्षों को मान्य होगा।

पक्षगणों ने लिख दिया है, ताकि सनद रहें और वक्त पर काम आये।

प्रथम पक्ष/ लाभार्थी	द्वितीय पक्ष/ शाखा प्रबन्धक	तृतीय पक्ष/ दुग्ध समिति संघ	चतुर्थ पक्ष/ सहायक निदेशक

दिनांकः–

गवाहान का हस्ताक्षर एवं नाम व पता का विवरण

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

1. नाम...
पिता का नाम..
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
आधार कार्ड संख्या–......................................
पता..

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

2. नाम...
पिता का नाम......................................
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
अधार कार्ड संख्या–............................
पता..

हस्ताक्षर (तृतीय पक्ष)

3. नाम...
पिता का नाम..
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
आधार कार्ड संख्या–......................................
पता...

हस्ताक्षर (चतुर्थ पक्ष)

4. नाम...
पिता का नाम..
वोटर आई0डी0 कार्ड0/
अधार कार्ड संख्या–............................
पता..

Dairy Development Department Uttarakhand
NCDC PROJECT (03 Cattle Unit)

Rs In Lakh

S.N.	Particulars	Unit	Quantity	03 Cattle Unit					
				Rate	No.	Cost/ Unit	Subsidy	Members contribution	Loan
1	**Animal Cost**					**1.6500**	**0.4125**	**0.0630**	**1.1745**
1.1	Cost of Cattle	Per Cattle	1	0.5000	3	1.5000	0.3750	0.0000	1.1250
1.2	Insurance		1	0.0220	3	0.0660	0.0165	0.0000	0.0495
1.3	Transport Cost		1	0.0280	3	0.0840	0.0210	0.0630	0.0000
2	**Civil Cost**					**0.760**	**0.190**	**0.184**	**0.387**
2.1	Cattle With Calf	Area / Cattle in sq ft	70	0.0040	2	0.560	0.1400	0.1350	0.2850
2.2	Cattle Without Calf	Area / Cattle in sq ft	50	0.0040	1	0.200	0.0500	0.0485	0.1015
3	**Plant & Machinary**					**0.055**	**0.01375**	**0.00000**	**0.04125**
3.1	Milk Cans (40 Lit.)	litres	1	0.0275	2	0.055	0.01375	0	0.04125
	Total					**2.4650**	**0.61625**	**0.24650**	**1.60225**

नोट–कुल इकाई लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान, 10 प्रतिशत लाभार्थि अंश व शेष 65 प्रतिशत ऋण है।

2.46500

Dairy Development Department Uttarakhand
NCDC PROJECT (05 Cattle Unit)

Rs In Lakh

S.N.	Particulars	Unit	Quantity	05 Cattle Unit					
				Rate	No.	Cost/ Unit	Subsidy	Members contribution	Loan
1	**Animal Cost**					**2.7500**	**0.68750**	**0.105**	**1.95750**
1.1	Cost of Cattle	Per Cattle	1	0.5000	5	2.5000	0.62500	0.00000	1.87500
1.2	Insurance		1	0.0220	5	0.1100	0.02750	0.00000	0.08250
1.3	Transport Cost		1	0.0280	5	0.1400	0.03500	0.10500	0.00000
2	**Civil Cost**					**1.2400**	**0.31000**	**0.30225**	**0.62775**
2.1	Cattle With Calf	Area / Cattle in sq ft	70	0.0040	3	0.8400	0.21000	0.20500	0.42500
2.2	Cattle Without Calf	Area / Cattle in sq ft	50	0.0040	2	0.4000	0.10000	0.09725	0.20275
3	**Plant & Machinary**					**0.0825**	**0.02063**	**0.00000**	**0.06187**
3.1	Milk Cans (40 Lit.)	litres	1	0.0275	3	0.0825	0.02063	0.00000	0.06187
	Total					**4.0725**	**1.01813**	**0.40725**	**2.64712**

नोट–कुल इकाई लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान, 10 प्रतिशत लाभार्थि अंश व शेष 65 प्रतिशत ऋण है।

4.07250